ऐक्सिस बैंक लि0 — माँग नोटिस

रिटेल एसेट्स सेंटर: प्रथम तल, जी–4/5 बी सेक्टर–4, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ– 226010
रजिस्टर्ड ऑफिस: "त्रिशूल"– तृतीय तल, समर्थेश्वर मंदिर के सामने, लॉ गार्डन के पास, एलिसब्रिज, अहमदाबाद–380006

चूंकि यहां नीचे वर्णित उधारकर्ताओं/सह–उधारकर्ताओं/जमानकर्ताओं/बन्धककर्ताओं ने एक्सिस बैंक लि0 से वित्तीय सहायता प्राप्त की थी तथापि हम स्पष्ट करते हैं कि वित्तीय सहायता प्राप्त करने के बाद भी उधारकर्ता/जमानतकर्ता/बन्धककर्ता नियत तिथियों के अनुसार मूलधन तथा ब्याज का प्रतिभुगतान करने में विभिन्न प्रकार की चुकें कर चुके हैं। अतएव उनके खातों को वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावती 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत एक्सिस बैंक लि0 के प्राधिकृत आधिकारी के अनुशंगानुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्गमित निर्देशों/दिशानिर्देशों के अनुपालनुसार वहां नीचे वर्णित संबंधित तिथियों पर OOO/अनर्जक परिसम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया हैं, जिसके अनुपालन के लिए उन्हें सरफेसी अधिनियम 2002 के अन्तर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 की धारा 13(12) के अन्तर्गत यहां नीचे वर्णित संबंधित तिथि पर मांग सूचना नियमित की गई थी, जिनमें निम्नलिखित उधारकर्ताओं/जमानकर्ताओं/बन्धककर्ताओं को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अन्दर सूचनाओं में वर्णित राशि पर संविदात्मक दर पर भावी ब्याज तथा भुगतानकर तिथि तक आकस्मिक व्ययों, लागत, प्रभारों इत्यादि के साथ सूचनाओं में वर्णित राशि का प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

खातेदार/सह–ऋणी/ जमानतकर्ता(ओं) का नाम एवं पता	सुरक्षित/बंधक सम्पत्तियों का विवरण	कुल बकाया धनराशि OOO/एनपीए दि. मांग सूचना दिनांक
1. मोहम्मद इस्लाम (आवेदक) पुत्र श्री शाह मोहम्मद **पताः 1.** 359, तुर्कमानपुर, वार्ड नं0 50, परगना हवेली, तहसील सदर, गोरखपुर, उ0प्र0–273005, **पताः 2.** मै0 एम0आई0 कैमीकल्स सी/ओ मोहम्मद इस्लाम दुकान नं0 1377 वक्फ कब्रिस्तान, भैसिया खाना, गीता प्रेस, तुर्कमानपुर, गोरखपुर, उ0प्र0–273005, 2. श्रीमती असमा खातून (सह–आवेदक) पत्नी मोहम्मद इस्लाम **पताः** 359, तुर्कमानपुर, वार्ड नं0 50, परगना हवेली, तहसील सदर, गोरखपुर, उ0प्र0–273005	परिवर्तित भूमि/सम्पत्ति के सभी भाग एवं खंड मकान नं0 359, स्थित ग्राम तुर्कमानपुर, टप्पा–कस्बा, परगना हवेली, तहसील सदर, जिला गोरखपुर, एरियाः 89.916 वर्ग मी., सम्पत्ति श्रीमती असमा खातून के नाम, **चौहद्दीः**–पूर्व– रोड 20 फीट चौड़ा, पश्चिम– मोहम्मद इस्लाम का मकान, उत्तर– मोहम्मद इस्लाम का मकान, दक्षिण– अली हुसैन उर्फ फेकू का मकान।	**रू0 30,75,034.38 दि. 03.06.2026 तक + ब्याज एवं अन्य खर्चें** 28.01.2026 03.06.2026
1. श्री आशीष गुप्ता (आवेदक) पुत्र श्री सुभाष चन्द्र गुप्ता **पताः 1.** मकान नं0 डी 54/16 आई जद्दूमंडी लुक्सा, वाराणसी–221001, **पताः 2.** मै0 गुप्ता ऑटो सेल्स पताः सी–21/14–ए–1, पिचास्मोचन, वाराणसी–221001, 2. श्री गौतम गुप्ता (सह–ऋणी) पुत्र श्री सुभाष चन्द्र गुप्ता **पताः 1.** मकान नं0 डी 54/16 आई जद्दूमंडी लुक्सा, छितुपुर, वाराणसी–221001, **पताः 2.** मै0 शिवा एण्टरप्राइजेज पताः सी–27/273 के इंडियन प्रेस कॉलोनी, मालदहीया, वाराणसी– 221001, श्रीमती नेहा गुप्ता (सह–आवेदक) पत्नी श्री आशीष गुप्ता पताः **पताः 1.** मकान नं0 डी 54/16 आई जद्दूमंडी लुक्सा, वाराणसी–221001, **पताः 2.** एन11/58–54ए–4, रानीपुर महमूरगंज छितुपुर, वाराणसी–221001, **पताः 3.** सी/ओ मै0 शिवा एण्टरप्राइजेज, पताः सी–27/273 के इंडियन प्रेस कॉलोनी, मालदहीया, वाराणसी– 221001, **बंधक सम्पत्ति पताः** श्री आशीष गुप्ता मकान नं0 डी 54/148–ई–2–1, आराजी नं0 45 मिन. मोहल्ला जद्दूमंडी, मौजा रमापुरा, वार्ड–दशाश्वमेध, परगना– देहात अमानत, जिला–वाराणसी, उ0प्र0, 221001	परिवर्तित भूमि/सम्पत्ति के सभी भाग एवं खंड रिहायशी मकान नं0 डी 54/148–ई–2–1, आराजी नं0 45 मिन., मोहल्ला जद्दूमंडी, मौजा रमापुरा, वार्ड–दशाश्वमेध, परगना– देहात अमानत, जिला–वाराणसी, उ0प्र0, 221001, एरियाः 680 वर्ग फीट या 63.197 वर्ग मी., सम्पत्ति श्री आशीष गुप्ता एवं श्री गौतम गुप्ता के नाम, **चौहद्दीः**–पूर्व– सिंधी जी का मकान, पश्चिम– कॉलोनी रोड, उत्तर–श्री राम प्रसाद का मकान, दक्षिण– सतनाम सिंह का मकान।	**रू0 86,10,344.65 दि. 11.08.2026 तक + ब्याज एवं अन्य खर्चें** 08.08.2026 11.08.2026
1. नीरज द्विवेदी (ऋणी/बंधककर्ता) पुत्र श्री शिवबाबू द्विवेदी **पताः 1.** 184/62 बी, राजापुर, कैलाश हॉस्पिटल इलाहाबाद, उ0प्र0 273158, **पताः 2.** सी/ओ 56 एपीओ, 09/15 जी, पीएलएन, एम कॉए, टीबी–3, डिपो कम्पनी, बटालियन, मेगा क्यू सेंटर, बैंगलोर, कर्नाटक–560033, बंधक सम्पत्ति पताः नीरज द्विवेदी पुत्र श्री शिवबाबू द्विवेदी आराजी/प्लॉट नं0 132मिन, दादनपुर, परगना हवेली तहसील सदर, इलाहाबाद, उ0प्र0–211002, 2. श्री सतीश द्विवेदी (सह–ऋणी/बंधककर्ता) पुत्र श्री शिवबाबू द्विवेदी **पताः 1.** 184/62 बी, राजापुर, कैलाश हॉस्पिटल इलाहाबाद, उ0प्र0 211002, **पताः 2.** बंधक सम्पत्ति पताः श्री सतीश द्विवेदी पुत्र श्री शिवबाबू द्विवेदी आराजी/प्लॉट नं0 132मिन, दादनपुर, परगना हवेली तहसील सदर, इलाहाबाद, उ0प्र0–211002, 3. श्रीमती मंजू दुबे (सह–ऋणी) पत्नी श्री सतीश द्विवेदी पताः 184/62 बी, राजापुर, कैलाश हॉस्पिटल इलाहाबाद, उ0प्र0 211002	परिवर्तित भूमि/सम्पत्ति के सभी भाग एवं खंड आराजी नं0 132मिन, स्थित मौजा दादनपुर, परगना एवं तहसील सदर, जिला इलाहाबाद, उ0प्र0, एरियाः 170.54 वर्ग मी., सम्पत्ति श्री नीरज द्विवेदी एवं श्री सतीश द्विवेदी दोनों पुत्रगण श्री शिव बाबू द्विवेदी के नाम, सभी भवनों एवं उन पर स्थित फिक्चर्स, फिटिंग एवं सभी संयंत्र और मशीनरी जो पृथ्वी से जुड़ी है या पृथ्वी से जुड़ी हुई किसी भी चीज से स्थाई रूप से जुड़ी हैं, **चौहद्दीः**–पूर्व– श्रीमती ज्योति गुप्ता का प्लॉट, पश्चिम– प्रस्तावित कच्चा रोड 25 फीट, उत्तर– अजीत कुमार श्रीवास्तव का प्लॉट, दक्षिण– श्रीमती सुशीला देवी का प्लॉट।	**रू0 32,61,219.00 दि. 12.08.2026 तक + ब्याज एवं अन्य खर्चें** 03.08.2026 13.08.2026

उपर्युक्त परिस्थितियों के अन्तर्गत एतद्द्वारा उपरोक्त उधारकर्ताओं, सह–उधारकर्ताओं तथा/अथवा उनके जमानकर्ताओं (जहाँ कहीं लागू हों) को इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अन्दर भावी ब्याज तथा यथा लागू प्रभारों के साथ उपर्युक्तानुसार बकाया देयरराशियों का भुगतान करने के लिए सूचित किया जाता हैं। ऐसा करने में विफल होने पर इस सूचना की तिथि के 60 दिनों के समापन के उपरांत प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के विरूद्ध आगे की कारवाई सुनिशिचित की जाएगी, जिसमें सरफेसी अधिनियम 2002 के अन्तर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियामवली 2002 की धारा 13(4) तथा उसके अन्तर्गत यथा लागू नियमावली के अधीन उधारकर्ताओं और बन्धककर्ताओं की प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का कब्जा लिया जाना भी सम्मलित होगा। ऋणी/सह–ऋणी/बन्धककर्ता एवं जमानतकर्ताओं का ध्यान सरफेसी एक्ट की धारा 13(8) की ओर आकृष्ट किया जाता है कि तय समय सीमा में बन्धक सम्पत्ति की रीडीम (मोचन) कर सकते हैं।

कृपया नोट करें कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अन्तर्गत कोई भी नोटिसी बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना इस सूचना में संदर्भित अपनी किसी भी प्रतिभूत परिसम्पत्ति को विक्रय, पट्टा के माध्यम से अन्यथा हस्तांतरित नहीं कर सकेगा।

दिनांक: 20.08.2026 (प्रा0 अधिकारी) एक्सिस बैंक लि0

ऐक्सिस बैंक लि0 — कब्जे की नोटिस

रिटेल एसेट्स सेंटर: प्रथम तल, जी–4/5 बी सेंटर–4, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ– 226010
रजिस्टर्ड ऑफिस: (त्रिशूल), तृतीय तल, समराथेश्वर मंदिर के सामने, लॉ गार्डन के पास, एलिसब्रिज, अहमदाबाद–380006

जबकि, अधोहस्ताक्षरी, ऐक्सिस बैंक लि0 के प्राधिकारी, न सिक्योरिटाइजशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनेन्शियल एसेट्स एण्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के अन्तर्गत तथा सिक्योरिटी इंटरेस्ट (इंफोर्समेंट) रूल, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत मांग नोटिस जारी किये गये। उक्त वर्णित उधारकर्ता राशि का भुगतान करने में असफल रहे है, अतः उक्त वर्णित उधारकर्ताओं को विशेष रूप से एवं सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उन्हें उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त एक्ट की धारा 13(4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कब्जा ले लिया है। उपरोक्त वर्णित उधारकर्ताओं को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि उक्त सम्पत्ति के साथ कोई सौदा न करें तथा उक्त सम्पत्ति के साथ किया जाने वाला कोई सौदा एक्सिस बैंक लि0 के साथ उक्त नोटिस में वर्णित वार्षिक ब्याज, अनुशंगी व्यय, लागत, प्रभार इत्यादि समेत से प्रभावी, मॉर्टगेज के विषयाधीन होगा। ऋणी/सह–ऋणी/बंधककर्ता एवं जमानतकर्ता का ध्यान सरफेसी एक्ट की धारा 13(8) की ओर आकृष्ट किया जाता है कि तय समय सीमा में बन्धक सम्पत्ति को रीडीम (मोचन) कर सकते हैं।

खातेदार/गारन्टरों का नाम एवं पता	सुरक्षित सम्पत्तियों का विवरण	मांग नोटिस के अनुसार बकाया राशि मांग सूचना की तिथि कब्जे की तिथि
1. मै0 एनएफबीसी मार्ट प्राइवेट लिमिटेड (ऋणी), **पताः 1.** बी–8, 551 झ/171, गुलाटी कॉम्प्लैक्स, राम नगर, आलमबाग, इंडुसिंद बैंक के सामने, जिला–लखनऊ, उ0प्र0–226005, **पताः 2.** 280, सेक्ट–एच, एल0डी0ए0 कॉलोनी, कानपुर रोड, जिला लखनऊ, उ0प्र0–226012, 2. श्री आलोक गुप्ता (सह–ऋणी/गारंटर) पुत्र श्री लक्ष्मी नारायन गुप्ता पताः एमएम–100, एल0डी0ए0 कॉलोनी, सेक्टर–डी–1, कानपुर रोड, जिला कानपुर, उ0प्र0–226012, 3. श्री अखिलेश कुमार अवस्थी (सह–ऋणी/बंधककर्ता/गारंटर) पुत्र श्री अयोध्या प्रसाद अवस्थी **पताः 1.** 568ख, 1264 तुलसी उद्यान, आलमबाग, जिला लखनऊ, उ0प्र0–226005, **पताः 2.** 568ख/449, गीता पल्ली, जिला लखनऊ, उ0प्र0, **पताः 3.** 1–2ए/170, ग्राउण्ड फ्लोर, निकट रिची रिच पब्लिक स्कूल बी–1, जनकपुरी, न्यू दिल्ली–110058, 4. श्री ओम नारायन गुप्ता (सह–ऋणी/गारंटर) पुत्र श्री रमेश चन्द्र गुप्ता पताः सी–101, मयुर विहार, कल्यानपुर, विकासनगर, जिला लखनऊ, उ0प्र0–226022, 5. श्रीमती वंदना अवस्थी (सह–ऋणी/बंधककर्ता/गारंटर) पत्नी श्री अखिलेश कुमार अवस्थी **पताः 1.** 568ख/449, गीता पल्ली, जिला लखनऊ, उ0प्र0, **पताः 2.** 1–2ए/170, ग्राउण्ड फ्लोर, निकट रिची रिच पब्लिक स्कूल बी–1, जनकपुरी, न्यू दिल्ली–110058, 6. श्रीमती शारदा गुप्ता (सह–ऋणी/बंधककर्ता/गारंटर) पत्नी श्री ओम नारायन गुप्ता **पताः 1.** सी–101, मयुर विहार, कल्यानपुर, विकासनगर, जिला लखनऊ, उ0प्र0–226022, **पताः 2.** प्लॉट नं0 18, ग्राम कल्यानपुर परगना एवं जिला लखनऊ, उ0प्र0	**सम्पत्ति नं0 1.** परिवर्तित रिहायशी/व्यवसायिक सम्पत्ति के सभी भाग एवं खंड, स्थित मकान नं0 सी–101, प्लॉट नं0 18, खसरा नं0 186क–मिन., ग्राम कल्यानपुर (मयुर विहार), शकर पुरवा, परगना, तहसील एवं जिला लखनऊ, उ0प्र0, एरियाः 1500 वर्ग फीट या 139.405 वर्ग मी., सम्पत्ति श्रीमती शारदा गुप्ता पत्नी श्री ओम नारायन गुप्ता के नाम, सभी भवनों एवं उन पर स्थित सहित, फिक्चर्स, फिटिंग एवं सभी संयंत्र और मशीनरी जो पृथ्वी से जुड़ी है या पृथ्वी से जुड़ी हुई किसी भी चीज से स्थाई रूप से जुड़ी हैं, **चौहद्दीः**–पूर्व– 20 फट चौड़ा रोड, पश्चिम–दीगर की भूमि, उत्तर–20 फीट चौड़ा रोड, दक्षिण– प्लॉट नं0 19	**रू0 12026083.84 दि. 11.02.2026 तक + ब्याज एवं अन्य खर्चें** 11.02.2026 18.08.2026
1. मै0 एग्मोसिस इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड (आवेदक) निदेशक श्री सूर्य गुप्ता पताः प्लॉट नं0 जी 60/ए इंडस्ट्रीयल एरिया यूपीएसआईडीसी जैनपुर कानपुर देहात, उ0प्र0 209311, 2. श्री सूर्य गुप्ता (गारंटर) पुत्र श्री चन्द्र कुमार गुप्ता पताः ग्राम शहजादपुर अकबरपुर कानपुर देहात उ0प्र0 209101, 3. मै0 वर्सोनोवा एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (गारंटर) निदेशक श्री अंशुल भारद्वाज पताः 417 सनसिटी बिजनेस टावर सेक्टर 54 गोल्फ कोर्स रोड गुड़गाँव हरियाणा 122003, 4. श्री अंशुल भारद्वाज (गारंटर) पुत्र श्री चेतन स्वरूप शर्मा पताः टावर 5 1603 अंसल वैली ग्वाल पहाड़ी सेक्टर 45, गुड़गाँव हरियाणा–122003, 5. श्री चन्द्र कुमार गुप्ता (गारंटर) पुत्र श्री ठाकुर प्रसाद, 6. श्री ग्रेस गुप्ता (गारंटर) पुत्र श्री चन्द्र कुमार गुप्ता दोनों का पताः ग्राम शहजादपुर अकबरपुर कानपुर देहात उ0प्र0 209101, 7. श्री संचित गुप्ता (गारंटर) पुत्र श्री अनिल कुमार गुप्ता पताः मुगलानी ईस्ट बिंदकी फतेहपुर उ0प्र0 212635	परिवर्तित भूमि सम्पत्ति के सभी भाग एवं खंड प्लॉट नं0 जी 60/ए इंडस्ट्रीयल एरिया जैनपुर परगना/तहसील अकबरपुर, कानपुर देहात, उ0प्र0, एरियाः 1561.96 वर्ग मी., **चौहद्दीः**–पूर्व–18 मी. चौड़ा रोड नं0 12, पश्चिम– प्लॉट नं0 जी–61, उत्तर– प्लॉट नं0 जी–59, दक्षिण– प्लॉट नं0 जी–60	**रू0 1,32,32,200.00 दि. 10.06.2026 तक + ब्याज एवं अन्य खर्चें** 10.06.2026 18.08.2026
1. मै0 शरन शंकर लाल एण्ड संस (ऋणी) प्रोपराइटर श्री अरून साहू पताः दुकान नं0 15, बारा नं0 1, गुरहट्टा, विशेश्वरगंज, वाराणसी, उ0प्र0–221001, 2. श्री अरून साहू (सह–ऋणी/बंधककर्ता/गारंटर) पुत्र श्री शरन शंकर लाल **पताः 1.** दुकान नं0 15, बारा नं0 1, गुरहट्टा, विशेश्वरगंज, वाराणसी, उ0प्र0–221001, **पताः 2.** जे–7/2, पी–8, दिगिया, गोपालबाग, जैतपुरा, जिला–वाराणसी, उ0प्र0–221001, **पताः 3.** मकान नं0 एसएचआई. 3/18 ए–1–यू, आराजी नं0–382 वार्ड शिवपुर, मौजा–मीरापुर बसही, वाराणसी, उ0प्र0–221001	परिवर्तित भूमि सम्पत्ति के सभी भाग एवं खंड मकान नं0 एसएचआई. 3/18 ए–1यू, आराजी नं0–382 स्थित मौजा–मीरापुर बसही, वार्ड एवं परगना, शिवपुर, तहसील एवं जिला वाराणसी, एरियाः 1020 वर्ग फीट, सम्पत्ति श्री अरून साहू पुत्र श्री शरन शंकर लाल के नाम। **चौहद्दीः**–पूर्व–8 फीट चौड़ा कच्चा रास्ता, पश्चिम– शंकर प्रसाद कन्नौजिया का मकान, उत्तर– शंकर प्रसाद विश्वकर्मा का मकान, दक्षिण– झम्मन यादव की आराजी का भाग।	**रू0 904440.87 दि. 01.09.2025 तक + ब्याज एवं अन्य खर्चें** 08.10.2025 18.08.2026

दिनांक: 18.08.2026 प्राधिकृत अधिकारी, एक्सिस बैंक लि0

ऐक्सिस बैंक लि0 — कब्जे की नोटिस

रिटेल एसेट्स सेंटर: प्रथम तल, जी–4/5 बी सेंटर–4, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ– 226010
रजिस्टर्ड ऑफिस: (त्रिशूल), तृतीय तल, समराथेश्वर मंदिर के सामने, लॉ गार्डन के पास, एलिसब्रिज, अहमदाबाद–380006

जबकि, अधोहस्ताक्षरी, ऐक्सिस बैंक लि0 के प्राधिकारी, न सिक्योरिटाइजशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनेन्शियल एसेट्स एण्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के अन्तर्गत तथा सिक्योरिटी इंटरेस्ट (इंफोर्समेंट) रूल, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत मांग नोटिस जारी किये गये। उक्त वर्णित उधारकर्ता राशि का भुगतान करने में असफल रहे है, अतः उक्त वर्णित उधारकर्ताओं को विशेष रूप से एवं सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उन्हें उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त एक्ट की धारा 13(4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कब्जा ले लिया है। उपरोक्त वर्णित उधारकर्ताओं को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि उक्त सम्पत्ति के साथ कोई सौदा न करें तथा उक्त सम्पत्ति के साथ किया जाने वाला कोई सौदा एक्सिस बैंक लि0 के साथ उक्त नोटिस में वर्णित वार्षिक ब्याज, अनुशंगी व्यय, लागत, प्रभार इत्यादि समेत से प्रभावी, मॉर्टगेज के विषयाधीन होगा। ऋणी/सह–ऋणी/बंधककर्ता एवं जमानतकर्ता का ध्यान सरफेसी एक्ट की धारा 13(8) की ओर आकृष्ट किया जाता है कि तय समय सीमा में बन्धक सम्पत्ति को रीडीम (मोचन) कर सकते हैं।

खातेदार/गारन्टरों का नाम एवं पता	सुरक्षित सम्पत्तियों का विवरण	मांग नोटिस के अनुसार बकाया राशि मांग सूचना की तिथि कब्जे की तिथि
1. श्री नीरज कुमार (आवेदक) पुत्र श्री वेदपाल सिंह, 2. श्री अंकुर कुमार (सह–आवेदक) पुत्र श्री वेदपाल सिंह **दोनों का पताः 1.** बी–40, राज विहार, फेज–3, टमलपुर कलां परगना ज्वालापुर तहसील एवं जिला हरिद्वार, उत्तराखंड 249407, **पताः 2.** ग्राम महेशपुर भोजपुर महेशपुर, किरतपुर बिजनौर, उ0प्र0–246731, श्री नीरज कुमार एवं श्री अंकुर कुमार **दोनों का पताः** प्लॉट नं0 बी–40 का भाग, खसरा नं0 69, राज विहार, फेज–3, ग्राम जमलपुर कलां परगना ज्वालापुर तहसील एवं जिला हरिद्वार, उत्तराखंड 249407	परिवर्तित भूमि/सम्पत्ति के सभी भाग एवं खंड प्लॉट नं0 बी–40 का रिहायशी भाग, माप पूर्व–35 फीट, पश्चिम –35 फीट, उत्तर–24 फीट, दक्षिण–24 फीट, खसरा नं0 69, स्थित राज विहार, फेज–3, ग्राम जमलपुर कलां, परगना ज्वालापुर, तहसील एवं जिला हरिद्वार, उत्तराखंड, एरियाः 78.06 वर्ग मीटर, सम्पत्ति श्री नीरज कुमार एवं श्री अंकुर कुमार के नाम। **चौहद्दीः** पूरब– प्लॉट नं0 बी–40 का भाग, पश्चिम– प्लॉट नं0 31, उत्तर– रास्ता 25 फीट चौड़ा, दक्षिण– प्लॉट नं0 बी–39	**रू0 22,82,686.00 दि. 07.04.2026 तक + ब्याज एवं अन्य खर्चें** 07.04.2026 14.08.2026
1. श्री वीरेन्द्र कुमार (आवेदक) पुत्र श्री जसकरन लाल **पताः 1.** मकान नं0 निगौना खेढ़ा बरूआ सागर कटरा तहसील फुटेरा बरूवा सागर पी0ओ0 बरवासागर झांसी, उ0प्र0–284201, **पताः 2.** नया मकान नं0 14, पुराना मकान नं0 12, खसरा नं0 154 मिन. स्थित ग्राम लहरगिर्द, परगना, तहसील एवं जिला झांसी, उ0प्र0–284003, 2. श्रीमती सुभा देवी (सह–आवेदक) पत्नी श्री वीरेन्द्र कुमार पताः मकान नं0 निगौना खेढ़ा बरूआ सागर कटरा तहसील फुटेरा बरूवा सागर पी0ओ0 बरवासागर झांसी, उ0प्र0–284201	परिवर्तित भूमि/सम्पत्ति के सभी भाग एवं खंड रिहायशी मकान, नया मकान नं0 14, पुराना मकान नं0 12, जोकि आराजी नं0 154 के भाग पर स्थित है स्थित मौजा लहरगिर्द, परगना, तहसील एवं जिला झांसी, उ0प्र0, एरियाः 136.47 वर्ग मीटर, सम्पत्ति श्री वीरेन्द्र कुमार के नाम। **चौहद्दीः** पूरब– श्री कौशल सिंह का मकान, पश्चिम– श्री सुगर सिंह यादव का मकान, उत्तर– 3.66 मीटर चौड़ा रोड (12 फीट), दक्षिण– फूड कोर्पोरेशन ऑफ इंडिया का गोडाउन।	**रू0 60,65,460.85 दि. 04.04.2025 तक + ब्याज एवं अन्य खर्चें** 04.04.2025 14.08.2026

दिनांक: 14.08.2026 प्राधिकृत अधिकारी, एक्सिस बैंक लि0

एनकोर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (एनकोर आर्क)

: 5वीं मंजिल, प्लॉट नं. 137, सेक्टर 44, गुरूग्राम–122 002, हरियाणा

ई–नीलामी बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल संपत्ति की बिक्री हेतु ई–नीलामी बिक्री सूचना, जों प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (नियम) के नियम 8 (6) और नियम 9 (1) के परंतुक के साथ पठित ।।

आम जनता और विशेष रूप से उधारकर्ता तथा गारंटर(ओं) को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित संपत्ति, जिसे आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के पक्ष में ऋण खाते में बकाया देय राशि को सुरक्षित करने हेतु बंधक/प्रभारित किया गया था और जिसे तत्पश्चात एनकोर रिकंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को **EARC -E0T-001-Trust** के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्य करते हुए (''सुरक्षित लेनदार'') को सौंप दिया गया है, जिसका भौतिक कब्जा सुरक्षित लेनदार के अधिकृत अधिकारी (एओ) द्वारा ले लिया गया है, को '''जैसा है जहाँ है'', ''जैसा है वैसा ही'', और ''जो कुछ भी है'' के आधार पर 09.09.2026 को बेचा जाएगा, ताकि 19.08.2026 तक रु.12,04,017/– (रुपये बारह लाख चार हजार सत्रह मात्र) की वसूली तथा वसूली तक संविदात्मक दर पर आगे का ब्याज और अन्य लागत, शुल्क आदि की वसूली की जा सके, किसी भी समायोजन वसूली/प्राप्ति के पश्चात, यदि कोई हो, जो सुरक्षित लेनदार को उधारकर्ता श्री संपतराव शिवाजी लवटे (उधारकर्ता/बंधककर्ता), श्रीमती संध्या संपत लवटे (सह–उधारकर्ता) से देय है।

संपत्ति का विवरण, सुरक्षित परिसंपत्ति के लिए आरक्षित मूल्य (आरपी) और बयाना राशि जमा (ईएमडी) निम्नानुसार हैः

अचल सुरक्षित परिसंपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य (रु.)	ईएमडी (रु.)
प्रथम तल पर 2 दुकानों का समस्त भाग एवं पार्सल, क्षेत्रफल 18.66 वर्ग गज या 15.60 वर्ग मीटर, परिसर संख्या 99¢8, बीकनगंज, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश–208001 में स्थित, तथा उक्त दुकानों की सीमाएंः– पूर्वः सामान्य मार्ग एवं परिसर संख्या 99/9, पश्चिमः मकान संख्या 99/7, उत्तरः अन्य दुकान का मार्ग, दक्षिणः हाजी अमीर का अहाता, मकान संख्या 99/8 की सीमाएंः – पूर्वः परिसर संख्या 99/9, पश्चिमः परिसर संख्या 99/7, उत्तरः 15 फीट अर्थात 4.57 मीटर चौड़ी सड़क, दक्षिणः हाजी अमीर का अहाता	24,50,000/-	2,45,000/-

यदि ई–नीलामी की तारीख को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है, तो तारीख स्वतः ही अगले कार्य दिवस तक बढ़ा दी जाएगी।
विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया सुरक्षित लेनदार की वेबसाइट पर दिए गए लिंक (यानी **http://www.encorearc.com/**) को देखें।
किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए, इच्छुक पक्ष सुरक्षित लेनदार के अधिकृत अधिकारी से मोबाइल नंबर 9873181249/9218016249 पर या ईमेल **krishna.kumar@encorearc.com** पर संपर्क कर सकते हैं।

कृष्ण कुमार (अधिकृत अधिकारी)
एन्कोर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी प्रा. लि.
EARC -E0T-001-Trust के ट्रस्टी के रूप में कार्य करते हुए

दिनांकः 19.08.2026
स्थानः गुरूग्राम

---

pnb Housing Finance Limited — परिशिष्ट-IV-ए – अचल संपत्ति/यों की ई-नीलामी – सार्वजनिक बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी-बिक्री सूचना

पंजीकृत कार्यालय :- 9वां तल, अंतरिक्ष भवन, 22, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110 001, फोन :-011-23357171, 23357172, 23705414, वेबसाइटः www.pnbhousing.com

शाखा पता : प्रथम तल, प्लॉट नबर 275, बुध बाजार रोड, निकट केनरा बैंक, मुरादाबाद–244001, उत्तर प्रदेश

एतद्वारा आम जनता को और विशेष रूप में उन कर्जदार(रों) और गारंटर(रों), जिन्हें कॉलम संख्या–ए में इंगित किया गया है, को सूचित किया जाता है कि कॉलम संख्या–डी में विवरणित नीचे वर्णित अचल संपत्ति(यां), जो प्रतिभूत ऋणदाता के पास बंधक/प्रभारित हैं, जिनका प्रलक्षित/भौतिक कब्जा मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड/प्रतिभूत ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है (जैसा कि कॉलम नंबर–सी में वर्णित है), नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार, ''जैसी हैं जहां हैं, जैसी हैं जो हैं और वहां जो कुछ भी हैं आधार'' पर बेची जाएंगी।

एतद्वारा कर्जदार(रों)/बंधकदाता(ओं)/संबंधित कर्जदारों/बंधकदाता(ओं) (मृतक होने के बाद से) के कानूनी वारिसों, कानूनी प्रतिनिधि (चाहे ज्ञात या अज्ञात), निष्पादक(कों), व्यवस्थापक (कों), उत्तरजीवी(वियों), समनुदेशिती(तियों), कॉलम संख्या–ए में निदर्शितानुसार जैसा भी मामला हो, को तिथि के अनुसार संशोधित प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 अद्यतन संशोधित के नियम–8(6) व 9 के तहत सूचित किया जाता है कि बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पीएनबीएचएफएल), प्रतिभूत ऋणदाता की वेबसाइट अर्थात् www.pnbhousing.com में दिया गया लिंक देखें।

ऋण सं, कर्जदार/ सह–कर्जदार/गारंटर /कानूनी वारिसों का नाम (ए)	मांग की गई राशि एवं तिथि (बी)	कब्जे का प्रकार (सी)	बंधक सम्पत्तियों का वर्णन (डी)	सुरक्षित मूल्य (आरपी)(ई)	ईएमडी (आरपी की 10 प्रतिशत) (एफ)	बोली जमा करने की अंतिम तिथि (जी)	बोली वृद्धि दर (एच)	निरीक्षण की तिथि एवं समय (आई)	नीलामी की तिथि एवं समय (जे)	ज्ञात ऋणभार/ न्यायालय वाद, यदि कोई (के)
HOU/RMRD/0823/1144207 अरशद अली/राबिया खातून बी.ओ.: रोशनी–मुरादाबाद	रू. 2569318.15 14.08.24 तक	भौतिक	गाटा नंबर 1000, मौजा धीमरी, पश्चिमी मुरादाबाद, जन्नत बाग धीमरी आजाद नगर निकट रॉयल कम्पाउण्ड, **मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश–353463**	रू. 2464000	रू. 246400	21–09–2026	रू. 10,000	10–09–2026 पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 05.30 बजे तक	22–09–2026 अप. 02.00 बजे से अप. 03.00 बजे तक	*शून्य/ज्ञात नहीं
HOU/RMRD/0524/5021353 मोहसिन/अर्शी बी.ओ.: रोशनी–मुरादाबाद	रू. 1944612.10 07.10.25 तक	भौतिक	खसरा नंबर 740, वाकया मोजा, धीमरी पश्चिमी, तह. मुरादाबाद, धीमरी पश्चिमी, मज्जिद के पास, मुरादाबाद रोड, **मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, 244302**	रू. 1873000	रू. 187300	21–09–2026	रू. 10,000	10–09–2026 पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 05.30 बजे तक	22–09–2026 अप. 02.00 बजे से अप. 03.00 बजे तक	*शून्य/ज्ञात नहीं
HOU/RMRD/1023/1170194 शमशुद्दीन/सर बानो बी.ओ.: रोशनी–मुरादाबाद	रू. 1345067.00 15.12.25 तक	भौतिक	गाटा संख्या 575 मोजा मऊ, सहारनपुर रेलवे, लाइन के दक्षिण, मेन नव विकसित आबादी, **मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, 244001**	रू. 1226000	रू. 122600	21–09–2026	रू. 10,000	10–09–2026 पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 05.30 बजे तक	22–09–2026 अप. 02.00 बजे से अप. 03.00 बजे तक	*शून्य/ज्ञात नहीं
HOU/RMRD/0623/1126363 राजकुमारी जाटव/राजकुमार बी.ओ.: रोशनी–मुरादाबाद	रू. 1625957.00 16.09.25 तक	भौतिक	खाता नंबर 171, खसरा नंबर 740, डिडौरा, मुरादाबाद, मुरादाबाद, **मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, 244001**	रू. 1671000	रू. 167100	21–09–2026	रू. 10,000	10–09–2026 पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 05.30 बजे तक	22–09–2026 अप. 02.00 बजे से अप. 03.00 बजे तक	*शून्य/ज्ञात नहीं
HOU/RMRD/0923/1165768 साकिब खान/अमन बी.ओ.: रोशनी–मुरादाबाद	रू. 1947738.00 14.08.25 तक	भौतिक	खसरा नंबर 1000, स्थित, धीमरी पश्चिम, मुरादाबाद, **मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, 244001**	रू. 1870000	रू. 187000	21–09–2026	रू. 10,000	10–09–2026 पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 05.30 बजे तक	22–09–2026 अप. 02.00 बजे से अप. 03.00 बजे तक	*शून्य/ज्ञात नहीं

*आगे ब्याज 18% प्रति वर्ष की दर पर, जैसा लागू हो, भुगतान और/या वसूली की तिथि तक किए गए आकस्मिक खर्च, लागत, प्रभार आदि के साथ। ''पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान एवं जानकारी के अनुसार, यहां, कॉलम संख्या–के में प्रकटीकृत विषय–सामग्री के अतिरिक्त उपर्युक्त अचल/प्रतिभूत परिसंपत्तियों के संबंध में कोई अन्य ऋणभार/दावा नहीं है। इसके अतिरिक्त, इस तरह के ऋणभारों का सफल क्रेता/बोलीदाता द्वारा अपनी ओर से पूरा/भुगतान किया जाना है। संभावित क्रेता(ओं)/बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे स्वतंत्र रूप से, उल्लिखित ऋणभारों की सत्यता का पता लगा लें। (1) तिथि के अनुसार, यहां पीएनबीएचएफएल/पीएनबीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी को उपरोक्त अचल संपत्तियों/प्रतिभूत परिसंपत्तियों की बिक्री, अलगाव और/या निस्तारण करने से रोकने का और/या उन पर न्यायालयी प्रतिबंध लगाने का कोई आदेश नहीं है तथा स्थिति कॉलम सं–'के' में वर्णित है। (2) संभावित क्रेता/बोलीदाता और इच्छुक पार्टियां, निविदा/बोली आवेदन प्रपत्र जमा करने या प्रस्ताव(वों) को देने से पहले, पीएनबीएचएफएल के पास उपलब्ध स्वामित्व विलेखों के स्वामित्व सहित, लेकिन उन तक सीमित नहीं है, कॉलम सं–'के' में वर्णित, की कार्यवाहियों/पारित आदेशों इत्यादि, यदि कोई, में उद्धृत अभिवचन का स्वतंत्र रूप से निरीक्षण कर सकते हैं और खुद को हर तरह से संतुष्ट कर सकते हैं। बोलीकर्ता(ओं) को बोली प्रपत्र के साथ इस नीलामी के नियमों और शर्तों पर हस्ताक्षर करने होंगे। (3) कृपया ध्यान दें कि प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9(3) के निबंधनों के अनुसार, बोलीदाता(गण)/क्रेता, विधिक रूप में उसी दिन या अधिकतम अगले कार्य दिवस तक बिक्री मूल्य की राशि का 25% (धरोहर राशि सहित, यदि कोई, जमा की गई हो) जमा करने के लिए विधिक रूप में बाध्य हैं। प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 9(2) के अनुसार प्रतिभूत लेनदार द्वारा बिक्री मूल्य की 25% राशि प्राप्त करने के बाद ही (बोलीदाता/ओं) के पक्ष में बिक्री की पुष्टि की जा सकती है। क्रेता द्वारा बिक्री प्रतिफल राषि का शेष 75% बिक्री पुष्टिकरण पत्र की पावती की तिथि से 15 दिनों के भीतर जमा किया जाना है और इस तरह के जमा के डिफॉल्ट होने पर, प्राधिकृत अधिकारी बिक्री पुष्टि पत्र में वर्णित 15 दिन की अनिवार्य अवधि के समाप्त होने की तिथि से 15 दिन के भीतर बिक्री प्रतिफल का अंश भुगतान जब्त कर लिया जाएगा तथा संपत्ति/प्रतिभूत परिसंपत्ति का पुनर्विक्रय सरफासी ऐक्ट के प्रावधानों के अनुसार कर दिया जायेगा। (4) मैसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इनके निगमित कार्यालय भूखंड सं. 68, तृतीय तल, सेक्टर–44, गुड़गांव, हरियाणा–122003 में वेबसाइट – www.bankeauctions.com के माध्यम से ई–नीलामी द्वारा बिक्री संचालित करने में प्राधिकृत अधिकारी की सहायता करेगी। संपत्ति के निरीक्षण या बोली प्रलेख प्राप्त करने से संबंधित किसी भी सहायता के लिए और किसी अन्य प्रश्न या पंजीकरण के लिए, आपको श्री कृपाल सिंह रावत, टोल फ्री नंबर : 1800 120 8800, ई–मेल : auction@pubhousing.com, पीएनबीएचएफएल के प्राधिकृत व्यक्ति के साथ समन्वयन करना होगा अथवा www.pnbhousing.com का संदर्भ ग्रहण करें।

स्थान : रोशनी मुरादाबाद, दिनांक : 19–08–2026 हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

ADITYA BIRLA CAPITAL — आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: इंडियन रेयॉन कंपाउंड, वेरावल, गुजरात–362266
शाखा कार्यालय: आर–टेक पार्क, 12वीं मंजिल, निरलॉन कॉम्प्लेक्स, वेस्टर्न एक्सप्रेसवे से दूर, गोरेगाँव ईस्ट – मुंबई – 400063

मांग नोटिस

सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ("नियम") के नियम 3 के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") की धारा 13(2) के अंतर्गत

आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड और आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड के बीच एमेल्गमेशन की वजह से, 11.03.2024 की एमेल्गमेशन स्कीम के तहत, जिसे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल – अहमदाबाद के 24.03.2025 को पास किए गए ऑर्डर में ठीक से रिकॉर्ड किया गया है, आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड द्वारा बताई गई कंपनी प्रॉपर्टी के संबंध में शुरू किए गए सभी सरफेसी एक्शन, एमेल्गमेटेड कंपनी, आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड को ट्रांसफर हो गए हैं।

तदनुसार, अधिनियम के तहत आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड (एबीसीएल) के अधिकृत अधिकारी होने के नाते, तथा नियम 3 के साथ धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिनियम की धारा 13(2) के तहत डिमांड नोटिस जारी किए हैं, जिसमें निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं) को संबंधित नोटिस में उल्लिखित राशि को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया है। अधोहस्ताक्षरी का उचित रूप से मानना है कि उधारकर्ता(ओं) मांग नोटिस(ओं) की तामील से बच रहा है, इसलिए नोटिस की तामील नियमानुसार चिपका कर और प्रकाशित करके की जा रही है। मांग नोटिस का विवरण नीचे दिया गया है:

उपरोक्त के संबंध में, उक्त कर्जदार/कानूनी वारिसों/कानूनी प्रतिनिधियों को एक बार फिर सूचित किया जाता है कि वे संबंधित नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर [illegible] को, नीचे उनके नामों के सामने बताई गई राशि का भुगतान करें, साथ ही नीचे कॉलम (क) में बताई गई संबंधित तारीखों से भुगतान और/या वसूली की तारीख तक नीचे बताए गए विवरण के अनुसार अतिरिक्त ब्याज भी दें, जैसा कि ऋण एग्रीमेंट और अन्य दस्तावेजों/लिखित समझौतों में बताया गया है, यदि कोई हो, जो उक्त कर्जदार द्वारा निष्पादित किए गए हैं। ऋण के उचित पुनर्भुगतान की सुरक्षा के रूप में, निम्नलिखित सुरक्षित संपत्ति(संपत्तियों) को उक्त कर्जदार द्वारा क्रमशः एबीसीएल के पास गिरवी रखा गया है।

क्र. सं.	उधारकर्ता(ओं) का नाम और पता	मांग नोटिस की तिथि और एनपीए की तिथि	अचल संपत्ति का विवरण
1	1. मैसर्स अन्नू ट्रेडिंग कंपनी अपने प्रोपराइटर द्वारा श्रीमती अनुराधा, 500/1, भोला नाथ नगर, शाहदरा, पूर्वी दिल्ली, दिल्ली – 110032 और मैसर्स अन्नू ट्रेडिंग कंपनी इसके प्रोपराइटर द्वारा श्रीमती अनुराधा, भूतल, 5/35, अस्थायी गज्जू कटरा, नई दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, दिल्ली – 110032, 2. श्रीमती अनुराधा पत्नी श्री विनोद शुक्ला, खसरा नं. 21, नूर नगर, करहेड़ा, साहिबाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश – 201005 मो. नं. 9266570321, साथ ही: श्रीमती अनुराधा पत्नी श्री विनोद शुक्ला, 5/35 गज्जू कटरा, बड़ा बाजार, ग्राम चंद्रावली उर्फ शाहदरा, इलाका शाहदरा, दिल्ली – 110032, 3. श्री विनोद शुक्ला पुत्र श्री रघुवर दयाल शुक्ला, खसरा नं. 21, नूर नगर, करहेड़ा, साहिबाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश – 201005, मो. 9990339073, ईमेल: VINODSHUKLA0067@GMAIL.COM साथ ही: श्री विनोद शुक्ला पुत्र श्री रघुवर दयाल शुक्ला, 5/35 गज्जू कटरा, बड़ा बाजार, ग्राम चंद्रावली उर्फ शाहदरा, इलाका शाहदरा, दिल्ली – 110032 ऋण खाता नं. ABND_STS00000841545 & ABN_GSTS00000090 1364	**13.08.2026 और एनपीए की तिथि 03.08.2026** --- रु. 2,15,10,590/– (रु. दो करोड़ पंद्रह लाख दस हजार पाँच सौ नब्बे मात्र) **दिनांक 06.08.2026 तक**	संपत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि संरचना संख्या 5635 के साथ, क्षेत्रफल 200 वर्ग गज खसरा नं. 642 में से, गज्जू कटरा की आबादी में, फर्श बाजार, चंद्रावली उर्फ शाहदरा, इल्लाका गांव के क्षेत्र में शाहदरा, दिल्ली – 110032। नीचे के रूप में सीमित: पूर्व: अन्य संपत्ति, पश्चिम: सड़क, उत्तर: 5/37 की संपत्ति, दक्षिण: 5/34 की संपत्ति

भावी ब्याज के साथ, ऊपर बताए गए संबंधित मांग नोटिस में बताई गई दर पर अतिरिक्त ब्याज, भुगतान और/या वसूली की तारीख तक हुए आकस्मिक खर्च, लागत, शुल्क आदि, यदि उक्त उधारकर्ता एबीसीएल को ऊपर बताए अनुसार भुगतान करने में विफल रहता है, तो एबीसीएल उक्त अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के तहत उक्त सुरक्षित संपत्ति/अचल संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई करेगा, जिसका पूरा जोखिम उक्त उधारकर्ता/कानूनी वारिस/कानूनी प्रतिनिधि का होगा, जिसमें लागत और परिणाम शामिल हैं।

उक्त अधिनियम के तहत उक्त उधारकर्ता/कानूनी उत्तराधिकारी/कानूनी प्रतिनिधि को एबीसीएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना बिक्री, पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उपरोक्त सुरक्षित परिसंपत्ति(ओं)/अचल संपत्ति(यों) को स्थानांतरित करने पर प्रतिबंध है। कृपया ध्यान दें कि यह वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) की धारा 13(2) के अंतर्गत अंतिम नोटिस है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि एबीसीएल को उधारकर्ता(ओं) के विरुद्ध ऊपर उल्लिखित किसी भी या सभी अधिकारों का प्रयोग पूरी तरह से उनके जोखिम, जिम्मेदारी और लागत पर करने का अधिकार होगा।

दिनांक: 20.08.2026, स्थान: दिल्ली हस्ता/– प्राधिकृत अधिकारी, आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड

CSB Bank — गिरवी रखे गए सोने के आभूषणों की नीलामी हेतु सार्वजनिक सूचना

Trusted Heritage Smart Future

विशिष्ट उधारकर्ता/ओं और इच्छुक बोलीदाताओं को, सामान्य रूप से, सूचित किया जाता है कि बैंक द्वारा जारी भुगतान नोटिस और रिकॉल/नीलामी नोटिस के बावजूद उधारकर्ताओं द्वारा बैंकों को देय राशि का भुगतान न करने के कारण, उनके द्वारा लिए गए ऋण के लिए संबंधित उधारकर्ताओं द्वारा बैंक सुरक्षा के साथ गिरवी रखे गए सोने के आभूषण को दिनांक **10 सितम्बर 2026 को सुबह 10.30 बजे** "जैसा है जहां है" और "गैर–सहारे" के आधार पर सार्वजनिक नीलामी में बेचे जाएंगे। बैंक के नोटिस बोर्ड पर इसके प्रकाशन के पश्चात बैंक के विवेकानुसार नीलामी को किसी अन्य बाद की तिथि तक स्थगित किया जा सकता है। ऋणकर्ताओं को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि सार्वजनिक नीलामी सफल नहीं होती है और उसके पश्चात कोई और शेष राशि वसूल की जानी है, तो ऋणकर्ता/ऋणकर्ताओं के विरुद्ध बैंक को देय शेष राशि की वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मृतक ऋणकर्ता के मामले में, सभी शर्तें कानूनी उत्तराधिकारियों पर लागू होंगी।

क्र. सं.	नीलामी केन्द्र सीएसबी शाखा	खाते का नाम	ग्राहक आईडी	खाते की सं.	दिनांक 17.08.2026 तक बकाया राशि	वजन (ग्राम)
1	सोलन	मंजू शर्मा	07715597	001	10,05,023.02	91.30
2	सोलन	नीरज डोगरा	04340755	001	2,57,182.27	27.00
3	सोलन	स्मृति ठाकुर	04122174	003	9,87,638.91	130.85

अधिक जानकारी/खाता जानकारी के लिए उधारकर्ता/इच्छुक बोलीदाता संबंधित शाखाओं से, और नीलामी में भाग लेने के लिए संपर्क कर सकते हैं।

हिमाचल प्रदेश
20.08.2026

हस्ता/– प्राधिकृत अधिकारी,
सीएसबी बैंक

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड छबड़ा

क्रमांक :455 दिनांक : 11.08.2026

निविदा सूचना संख्या 05/2026-27

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की उपयुक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान में पंजीकृत संवेदकों "एए", "ए", "बी" एव "सी" श्रेणी एवं राज्य सरकार / केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनों / केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग / डाक एवमं दूर संचार विभाग / रेल्वे इत्यादि में पंजीकृत संवेदकों, जो कि राजस्थान सरकार के "एए", "ए" श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष हो, से कार्यों हेतु ई-टेण्डरिंग के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावेगी। निविदा से सम्बन्धित विवरण वेबसाईट http://dipr.rajasthan.gov.in/tenders.asp व http://www.pwd.rajasthan.gov.in http://eproc.rajasthan.gov.in एवं http://sppp.raj.nic.in पर देखा जा सकता है।

NIB Code: PWD2627A2163

क्र.सं.	UBN No.	क्र.सं.	UBN No.
1	PWD2627WSOB09732	2	PWD2627WSOB09735
3	PWD2627WSOB09738	4	PWD2627WSOB09739
5	PWD2627WSOB09741	6	PWD2627WSOB09743
7	PWD2627WSOB09745	8	PWD2627WSOB09746
9	PWD2627WSOB09747		

सुनील कुमार सोनी
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा

DIPR/C/15013/2026

ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून

पारस टॉवर, द्वितीय तल, माजरा निरंजनपुर, सहारनपुर रोड, देहरादून

आर.सी. 186/2026 दिनांक: 23.06.2026
बैंक ऑफ इण्डिया प्रमाणपत्र धारक
बनाम्
महेन्द्र सिंह राना एवं अन्य। प्रमाणपत्र देनदार

डिमांड नोटिस

सेवा में,

सीडी नं. 1. महेन्द्र सिंह राणा पुत्र श्री बिशन सिंह राणा, निवासी रेणुका विहार, बंगाली कोठी, ग्रामीण बैंक के सामने, मोथरोवाला, देहरादून- 248001, उत्तराखंड।

दूसरा पता नं. 1. खसरा नंबर 2106, बीपी टावर, अजबपुर कलां, दून यूनिवर्सिटी रोड, देहरादून - 248001, उत्तराखंड।

दूसरा पता नं. 2. कृष्णा विहार, श्री राम कृष्ण एकेडमी स्कूल के पास, नेहरूग्राम, देहरादून 248005, उत्तराखंड।

सीडी नं. 2. श्रीमती कंचन राणा पत्नी श्री महेन्द्र सिंह राणा, निवासी रेणुका विहार, बंगाली कोठी, ग्रामीण बैंक के सामने, मोथरोवाला, देहरादून- 248001, उत्तराखंड।

दूसरा पता नं. 1. खसरा नंबर 2106, बीपी टावर, अजबपुर कलां, दून यूनिवर्सिटी रोड, देहरादून - 248001, उत्तराखंड।

दूसरा पता नं. 2. कृष्णा विहार, श्री राम कृष्ण एकेडमी स्कूल के पास, नेहरूग्राम, देहरादून 248005, उत्तराखंड।

यह सूचित करना है कि पीठासीन अधिकारी, डीआरटी, देहरादून द्वारा पारित **ओ.ए. संख्या 224/2025** में जारी वसूली प्रमाण पत्र के मद्देनजर **रू0 22,19,718.85/-** (रुपये बाईस लाख उन्नीस हजार सात सौ अट्ठारह एवं पिच्चासी पैसे मात्र) साथ ही, पहले साल के लिए **7.00%,** अगले द्वितीय वर्ष के लिए **8.00%** और शेष राशि पर **9.70%** की दर से पेंडेंट-लाइट और भविष्य का ब्याज, 29.03.2025 से, जब तक कि आपको वसूली न हो जाए और **1,28,245/–** रुपये का खर्च आप पर बकाया हो गया है (संयुक्त रूप से और अलग-अलग)।

आपसे अनुरोध है कि नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर उपरोक्त राशि जमा करायें अन्यथा नियमानुसार वसूली की जायेगी।

आपको आगे कि कार्यवाही के लिए **दिनांक 14.10.2026** को सुबह 10.30 बजे अधोहस्ताक्षरी के सामने पेश होने का आदेश दिया जाता है।

उक्त धनराशि के अतिरिक्त आप निम्नलिखित के भुगतान के लिए भी उत्तरादायी होंगे।

(ए) इस प्रमाण निष्पादन प्रक्रिया की सूचना के तुरंत बाद की अवधि हेतु देय ब्याज राशि सभी लागत, प्रभार और खर्चे।

(बी) इस नोटिस की तामील तथा देय राशि वसूलने के लिए अपनाई जाने वाली अन्य प्रक्रिया के संबंध में किए गए सभी लागत, प्रभार और व्यय।

वसूली अधिकारी
ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून

एंकोर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (एंकोर एआरसी)

5वीं मंजिल, प्लॉट नं. 137, सेक्टर 44, गुरुग्राम – 122 002, हरियाणा

पूर्वाग्रह रहित

ENCOREARC/RES/ICFL/SBBA/2627/0801 14-08-2026

मैसर्स श्री बांके बिहारी अपैरल्स (ऋणधारक) तीसरी मंजिल, 7063, नाथन सिंह, गली तेज सिंह, गली पहाड़ी धीरज, दिल्ली – 110006	**श्री अंकुर कुमार (सह–ऋणधारक)** मकान नं. 98, पश्चिम विहार एक्सटेंशन, पश्चिम विहार, दिल्ली – 110063
सुश्री मनीषा गोयल (सह–ऋणधारक) मकान नं. 98, पश्चिम विहार एक्सटेंशन, पश्चिम विहार, दिल्ली – 110063	**श्रीमती गुला देवी गोयल** (सह–ऋणधारक/बंधककर्ता) मकान नं. 98, पश्चिम विहार एक्सटेंशन, पश्चिम विहार, दिल्ली – 110063

श्रीमान/श्रीमती,

विषय : सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(8) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 (''नियमावली'') के नियम 8(6) के अंतर्गत मैसर्स श्री बांके बिहारी एपेरल्स (''ऋणधारक'') की उस प्रतिभूति परिसंपत्ति की बिक्री की सूचना, जिसका सांकेतिक कब्जा नियमावली के साथ पठित वत्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (''सरफेसी अधिनियम'') की धारा 13(4) के अंतर्गत लिया गया है।

जैसा कि आप अवगत हैं कि सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में, एंकोर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (''एंकोर एआरसी'') ने इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड (''आईसीएफएल'') द्वारा ऋणधारक को दी गई वित्तीय सहायता को 23.07.2024 को पंजीकृत अंतरण समझौते के माध्यम से सभी अंतर्निहित प्रतिभूतियों के साथ अधिग्रहीत कर लिया है।

एंकोर एआरसी द्वारा वित्तीय सहायता के अधिग्रहण से पूर्व, इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड ने 17.04.2023 को सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत एक सूचना जारी कर आपको उसमें उल्लिखित देय राशियों का भुगतान करने की सलाह दी थी। चूंकि आप सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत जारी उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर देय राशियों का भुगतान करने में विफल रहे तथा उपेक्षा की, इसलिए एंकोर एआरसी के प्राधिकृत अधिकारी ने 25.07.2026 को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार प्रतिभूत संपत्ति का सांकेतिक कब्जा ले लिया।

कृपया इसे नियमावली के नियम 8(6) के अंतर्गत 30 दिनों की सूचना मानें। 30 दिनों की सूचना अवधि समाप्त होने पर, एंकोर एआरसी के प्राधिकृत अधिकारी सार्वजनिक ई–नीलामी/निजी समझौते या नियमावली के अंतर्गत प्रदान की गई किसी अन्य विधि के माध्यम से नीचे विशेष रूप से उल्लिखित प्रतिभूत संपत्ति को बेचने के लिए कदम उठाएंगे।

प्रतिभूत संपत्ति का विवरण :

श्रीमती गुला देवी गोयल के स्वामित्व वाले आवासीय प्लॉट नं. 98, अधिमापन 70.00 वर्ग मीटर, पश्चिम विहार एक्सटेंशन, दिल्ली – 110063 का वह सभी भाग तथा अंश, जो निम्नानुसार परिसीमित है, सीमाएँ :– उत्तर : सड़क 5 मीटर, पूर्व : गली 3 मीटर, दक्षिण : गली 3 मीटर, पश्चिम : प्लॉट नं. 98

सार्वजनिक ई–नीलामी द्वारा बिक्री के मामले में, आरक्षित मूल्य, बयाना राशि जमा आदि सहित बिक्री के विस्तृत नियम तथा शर्तें परिशिष्ट–प्ट। में दिए गए प्रारूप में सार्वजनिक ई–नीलामी बिक्री सूचना के प्रकाशन के साथ–साथ एंकोर एआरसी की वेबसाइट अर्थात् https://www.encorearc.com तथा https://sarfaesi.auctiontiger.net/EPROC/ पर भी नियमावली के नियम 8(7) के अनुसार अपलोड की जाएंगी।

ऋणधारक/बंधककर्ता/गारंटर का ध्यान सरफेसी अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो 21.07.2026 तक की संपूर्ण देय राशि रु. 1,33,83,741/– (रुपये एक करोड़ तैंतीस लाख तिरासी हजार सात सौ इकतालीस मात्र) तथा 22.07.2026 से आगे के भविष्य के ब्याज, प्रभारों तथा लागतों का भुगतान करके प्रतिभूत संपत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में है।

ऋणधारक/बंधककर्ता(ओं)/गारंटर(रों) को तदनुसार प्रतिभूत संपत्ति को छुड़ाने का एक अंतिम अवसर दिया जा रहा है, जिसमें विफल रहने पर, एंकोर एआरसी, ईएआरसी–बैंक–031–ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में, नियमावली के अनुसार उपर्युक्त प्रतिभूत परिसंपत्ति की बिक्री के साथ आगे बढ़ेगी।

आपका विश्वासपात्र,
सचिन कुमार (प्राधिकृत अधिकारी)
कृते एंकोर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
(ईएआरसी–बैंक–031–ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्यरत)

"IMPORTANT"
Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.